न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 32/2020
तारीख दायरा – 22.09.2020

प्रार्थी :–

भारत भुषण पुत्र भंवरलाल त्रिवेदी, जाति– ब्राहमण
साकिन– सायला, जिला जालौर, हाल निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

नगरपालिका सादडी
तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– श्री प्रदीपसिंह सोलंकी अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से।
2– श्री मुकेश सुथार अधिवक्ता – अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक– 29.07.2021**

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या 03 की धारा 251क की उपधारा (2) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में अवागमन के लिए नया रास्ता लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ सादडी चक द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 01 नया प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6363 रकबा 0.41 हेक्टर किस्म नहरी दोयम में आवागमन हेतु 30 फिट चौडे रास्ते की भूमि हेतु अप्रार्थी नगरपालिका सादडी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6364 रकबा 0.31 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 6365 रकबा 0.27 हेक्टर में से [illegible] गई है।
3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को [illegible] हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि सादडी चक द्वितीय के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:46 IST
Reason: SelfAttested

पेज [illegible] 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी राजस्व विविध सं. 32/2020
अनवान भारत भुषण बनाम नगरपालिका सादडी अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियत 1955

नम्बर 6364 रकबा 0.31 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 6365 रकबा 0.27 हेक्टर नगरपालिका सादडी के खातेदारी में दर्ज है। जिसमें से प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6363 रकबा 0.41 हेक्टर में रास्ते के उपयोग में लिया जा रहा है। वर्णित कृषि भूमि में से आवागमन हेतु नया मार्ग आवंटन किया जाता है तो नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है।

4. इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/126 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2021/588 दिनांक 22.07.2021 के जरिये जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द, नक्शा ट्रेस मय नजरी नक्शा के जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा के प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प आने जाने के लिए नहीं है। प्रस्तावित रास्ता के लिए खसरा नम्बर 6364 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 6365 रकबा 0.27 हेक्टर में से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर खसरा नम्बर 6364 व 6365 में से कुल रकबा **71x8** वर्ग मीटर = **0.0568** हेक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। उक्त भूमि नगरपालिका सादडी को हस्तांतरित किया हुआ है। मौका फर्द में नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार लाल स्याही से अंकित रास्ता खसरा नम्बर 6364 रकबा 0.31 हेक्टर , खसरा नम्बर 6365 रकबा 0.24 हेक्टर की माठ के सहारे–सहारे प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण में रास्ते हेतु कुल रकबा **71x8** वर्ग मीटर = **0.0568** हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की पंजीयन बाजार दर रूपये 644490/– रूपये प्रति हैक्टर बताई गई है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच, नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस, मौका फर्द, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादडी का जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6363 रकबा 0.41 हेक्टर किस्म नहरी दोयम की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता रिकॉर्डेड अनुसार उपलब्ध नहीं होने से नगरपालिका सादडी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6364 रकबा 0.31 हेक्टर व खसरा नम्बर 6365 रकबा 0.27 हेक्टर किस्म नहरी दोयम में से माठ के सहारे–सहारे 30 फिट [illegible] कुल प्रभावित रकबा **71x8** वर्ग मीटर = **0.0568** हेक्टर रास्ता [illegible] की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:46 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) [stamp]

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी राजस्व विविध सं. 32/2020
अनवान भारत भुषण बनाम नगरपालिका सादडी अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियत 1955

प्रस्तावित रकबा **71x8** वर्ग मीटर **= 0.0568** हेक्टर कि राशि 36607/– बनती है जिसकी नियमानुसार दोगुना राशि 73214 रूपये बनती है प्रार्थी उक्त राशि रूपये 73214/– का अनुदान भूगतान नगरपालिका सादडी को करना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251क स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी 30 फिट चौड़े रास्ते के परिपेक्ष में डी.एल.सी. की दर अनुसार प्रस्तावित रास्ता 0.0568 हेक्टर की अनुदान राशि रूपये 73214/– की राशि प्रार्थी खातेदार अप्रार्थी नगरपालिका सादडी को भुगतान करवाने के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6364 व खसरा नम्बर 6365 में आने जाने हेतु उक्त खसरों के माठ के सहारे–सहारे **71x8** वर्ग मीटर **= 0.0568** हेक्टर का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें, नक्शे में तरमीम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादडी को आदेश की प्रति भेजी जावें।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 29/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:46 IST
Reason: SelfAttested